प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक 5420 / एस० डब्लू० एस० एम० / 71 दिनांक 24.07.2026

महोदय,

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन फेज–4 के अन्तर्गत हर घर नल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 20.07.2026 एवं जनपद हेतु सूचीबद्ध एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी 01 नग प्राक्कलन संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(चन्द्र मोहन गर्ग)
जिलाधिकारी,
चन्दौली।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वारा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।
5. मैसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड, चन्दौली।

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

DEO PS SWSM CHANDAULI

Scanned with OKEN Scanner

जल जीवन मिशन कार्यकम के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक के साथ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 20/07/2026 का

कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओ में आ रही समस्याओ के निस्तारण एवं ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली के अधिकारियो एवं कार्यदायी संस्थाओ के प्रतिनिधियो की बैठक दिनांक 20.07.2026 को आयोजित की गयी। आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1.	मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली	उपाध्यक्ष
2.	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली	सदस्य
4.	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली	सदस्य सचिव
5.	जिला विकास अधिकारी, चन्दौली	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता, चन्द्रप्रभा प्रखण्ड/नलकूप प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, चन्दौली	सदस्य
7.	जिला कृषि अधिकारी, चन्दौली	सदस्य
8.	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चन्दौली	सदस्य
9.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली	सदस्य
10.	समस्त सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली	
11.	समस्त अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली	
12.	महाप्रबन्धक, मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड	
13.	परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा,	
14.	परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स जी0ए0 इन्फ्रा–बाबा जे0वी0,	
15.	परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स जी0ए0 इन्फ्रा प्रा0लि0,	
16.	परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स एच0एफ0सी0एल0,	
17.	परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0,	
18.	डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, चन्दौली।	
19.	समस्त स्टाफ, टी0पी0आई0, चन्दौली।	

कार्मिकों/ऑपरेटरर्स/गार्डस् का मानदेयः–

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 1505/डब्ल्यू–17/2026–27/लीगल–1 दिनांक 14.07.2026 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओ पर तैनात कार्मिकों/ऑपरेटरर्स/गार्डस् को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की दरों एवं नियमों तथा अन्य लागू श्रम कानूनों एवं समय–समय पर उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरो का पूर्ण अनुपालन तथा अन्य अनुमन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत किए गए है।

इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इण्डिया प्रा0 लि0 एवं परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सन्दर्भित नियमों का अनुपालन किया गया है। अन्य कार्यदायी संस्था जी0ए0 इन्फ्रा एवं एच0एफ0सी0एल0 लि0 के प्रतिनिधि द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत अनुपालन किये जाने हेतु समय मांगा गया है।

उक्त के आलोक में समस्त कार्यदायी संस्थाओं के महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 25.07.2026 के पूर्व संदर्भित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगे कि उनके द्वारा श्रम कानून एवं समय–समय पर शासन द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरो के अनुसार अपने कार्मिकों/ऑपरेटरर्स/गार्डस् को अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जा रही है।

भूमि विवादः–

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील पं0दी0द0उ0 नगर में 12, तहसील सकलडीहा में 11, तहसील चकिया में 10 एवं तहसील चन्दौली में 09 प्रकरण भूमि विवाद के लम्बित थे। जिनमे से तहसील पं0दी0द0उ0 नगर में 04, तहसील सकलडीहा में 03, तहसील चकिया में 05, एवं तहसील चन्दौली में 03 प्रकरण अब तक निस्तारित किए जा चुके है। शेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता एवं कार्यदायी संस्थाओ के प्रतिनिधि नियमित रूप से उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार से सम्पर्क स्थापित कर भूमि विवादों का निस्तारण करा रहे है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि समस्त क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि तहसील प्रशासन से प्रतिदिन समन्वय स्थापित कर समस्त भूमि विवादों का निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

सतही पेयजल योजना की कार्यदायी संस्था मै0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0 के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु जनपद स्तर से भूमि चिन्हित करके परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरान्त उत्थापित आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों पर अंकित आपत्तियॉ निस्तारित करके प्रस्ताव परियोजना जॉच समिति के पास प्रेषित कर दिया गया है। इसके पश्चात् राज्य स्तर से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना लंबित है। उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अनुरोध किया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया प्रचलित है इस बीच वन विभाग द्वारा फर्म को कार्य करने की अनुमति प्रदान दी जाये। कार्यदायी संस्था एच0एफ0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि लौवारी कलॉ, सेमरा साधोपुर, देवरी कलॉ, धनकुवारी कलॉ एवं जटमोहिनी पोस्ता के सम्बन्ध में कार्यवाही तहसीलदार, नौगढ़ के स्तर पर लंम्बित है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली एवं कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक नियमित रूप से सम्बन्धित उच्चाधिकारियों से समन्वय

Scanned with OKEN Scanner

स्थापित कर यथाशीघ्र राज्य स्तर से केन्द्र में प्रस्ताव प्रेषित कराकर अनुमति प्राप्त करें तथा कार्यदायी संस्था एच0एफ0सी0एल0 की परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार से समन्वय स्थापित कर वस्तुस्थिति से अवगत कराये तथा किसी स्तर पर कठिनाई उत्पन्न होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। जिसमें जल निगम की पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा टीम गठित कर दी गयी है, जिसके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पाइप लाइन सड़क से कितनी दूरी पर बिछायी जायेगी।

निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विभाग से नोडल अधिकारी नामित कराकर उनसे नियमित समन्वय स्थापित कर अविलम्ब प्रकरण को निस्तारित किया जाये।

<u>पूर्ण परियोजनाये:-</u>

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 157 परियोजनाऍं संचालन एवं अनुरक्षण में चली गयी है, जिसमें नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

इन योजनाओं के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि सभी कार्यदायी संस्थाओं के महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक अपनी परियोजनाओं के सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि ये परियोजनाये पूरी तरह से पूर्ण है इसमें कोई कार्य अवशेष नहीं है तथा रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली द्वारा जल निगम की टीम एवं टी0पी0आई0 की टीम के द्वारा जॉच कराकर प्रस्तुत प्रमाण पत्र का सत्यापन करेगे तथा प्रकाश में आयी कमियों का उल्लेख करते हुए उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे। इसके पश्चात् इसकी जॉच जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी। किसी भी प्रकार का विरोधाभाष पाये जाने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

समस्त कार्यदायी संस्थाऍं अपनी परियोजनाओ के पूर्ण किये जाने हेतु निम्न प्रारूप में कार्ययोजना प्रस्तुत करेगे।

प्रारूप-1

क्र0 सं0	एजेन्सी का नाम	कुल परियोजना की संख्या	दिसम्बर 2025 तक पूर्ण परियोजना की संख्या	पिछले 06 महीनों में पूर्ण परियोजनाऍं की संख्या							वर्तमान तक पूर्ण परियोजनाओ की संख्या
				जनवरी 2026	फरवरी 2026	मार्च 2026	अप्रैल 2026	मई 2026	जून 2026	कुल योग	

प्रारूप- 2.1 (एकल ग्राम परियोजनाऍं)

क्र0 सं0	एजेन्सी का नाम	कुल परियोजना की संख्या	वर्तमान तक पूर्ण परियोजना की संख्या	परियोजना पूर्ण करने की कार्ययोजना की संख्या											टिप्पणी
				जुलाई 2026	अगस्त 2026	सितम्बर 2026	अक्टुबर 2026	नवंबर 2026	दिसम्बर 2026	जनवरी 2027	फरवरी 2027	मार्च 2027	मार्च 2027 के बाद	कुल योग	

प्रारूप- 2.2 (बहुल ग्राम परियोजनाऍं)

क्र0 सं0	एजेन्सी का नाम	कुल परियोजना की संख्या	वर्तमान तक पूर्ण परियोजना की संख्या	परियोजना पूर्ण करने की कार्ययोजना की संख्या									टिप्पणी
				जुलाई से सितम्बर 2026	अक्टुबर से दिसम्बर 2026	जनवरी से मार्च 2027	अप्रैल से जून 2027	जुलाई से सितम्बर 2027	अक्टुबर से दिसम्बर 2027	जनवरी से मार्च 2028	अप्रैल से जून 2028	कुल योग	

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के अतिरिक्त सभी कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि जिन-जिन परियोजनाओं मे वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान सड़को की कटिंग की गयी है, उन सड़को को शीघ्र गुणवत्तापूर्वक मोटरेबिल कर दिया जाये जिससे ग्राम वासियों को आने-जाने मे समस्या उत्पन्न न हो। सभी फर्मो के पास आवश्यक मैन पावर की कमी है तथा इनके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना के निर्माण कार्यो मे विशेष रूचि नही ली जा रही है, जिससे योजनाओ के कार्यो को पूर्ण करने मे विलम्ब हो रहा है। सभी फर्मो को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि मे कार्यो को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। फलस्वरूप पर्याप्त बोरिंग मशीन, कम्प्रेशर, ओपी यूनिट व स्किल्ड मैन पावर बढा कर नियत समय मे कार्य पूर्ण करने की कार्य योजना बनाये तथा सभी निर्माण कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराये जिससे कि योजनाओ को ससमय संचालित कर योजनाओ से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या को नियमित जलापूर्ति की जा सके। यदि कार्यो की गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित फर्म के विरूद्व आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक प्रस्तावित है। जिसमें अधिक से अधिक डी0पी0आर0 प्रेषित किया जाना है। उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के आदेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ दिनांक 21.01.2020 द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष निर्माण एजेन्सियों द्वारा पेयजल सम्बन्धी प्रस्तुत डी0पी0आर0 को जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम स्तर पर जॉचोपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड	निर्माण एजेंसी/ फर्म	योजना का नाम	लाभान्वित ग्राम पंचायतों की संख्या	लाभान्वित राजस्व ग्राम की संख्या	SLSSC स्वीकृत लागत (रू करोड़ में)	संशोधित अनुमानित लागत (रू करोड़ में)	विचलित लागत (रू करोड़ में)
1	नौगढ़	ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0	नौगढ़ सतही पेयजल योजना	38	88	185.10	167.03	18.07
			कुल-	**38**	**88**	**185.10**	**167.03**	**18.07 (बचत)**

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा प्रेषित एजेण्डा नोट में उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 01 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत है। उपरोक्त में प्रस्तुत 01 नग डी0पी0आर0 मैसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड के है, समस्त डी0पी0आर0 एस0डब्ल्यू0एस0एम0 के एस0ओ0आर0 पर बनाये गये है तथा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली के तथा सभी डी0पी0आर0 तकनीकी रूप से सही है। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि सभी डी0पी0आर0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बनाये गये है, इसमें कोई राजस्व ग्राम/मजरे छूटे नहीं है तथा डी0पी0आर0 में दी गयी दरे एस0डब्ल्यू0एस0एम0 के एस0ओ0आर0 से कम ही हैं। उक्त 01 नग डी0पी0आर0 सुसंगत अभिलेखों पर समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक समाप्त करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली को निर्देश दिया जाता है कि आगामी बैठक में पिछली बैठक की कार्यवृत्ति, बैठक का एजेण्डा (कार्मिकों का भुगतान, भूमि विवाद, विभिन्न विभागो से प्राप्त किये जाने हेतु लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रकरण जो आवश्यक हो) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाये तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की भी बैठक

Scanned with OKEN Scanner

में उपस्थिति सुनिश्चित की जाये एवं आगामी बैठक में घटकवार विवरण तैयार कर प्रस्तुत किये जाए, जिससे कि फर्मो द्वारा कराये गये कार्यो की प्रगति की वास्तविक स्थति स्पष्ट हो सके।

परियोजना प्रबन्धक
मै0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0
चन्दौली।

अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
चन्दौली।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
चन्दौली/सदस्य

जिला सूचना एवं
जनसम्पर्क अधिकारी,
चन्दौली/सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
चन्दौली/सदस्य

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन विभाग,
चन्दौली/सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
चन्दौली/सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
चन्दौली/सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
चन्दौली/सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी
चन्दौली/सदस्य

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
चन्दौली

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

पत्रांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वारा०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, रामनगर, वाराणसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।
9. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चन्दौली।
10. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, चन्दौली।
11. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, चन्दौली।
12. समस्त महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था जनपद–चन्दौली।

जिलाधिकारी
चन्दौली

DEO PS SWSM CHANDAULI

Scanned with OKEN Scanner